परिपत्र सं0. 12/12/2017- जीसटी

अनु0335/117।2017-टीआरयू(पट-तृतीय)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(टैक्स रिसर्च यूनिट)

--

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 26 अक्तूबर, 2017

सेवा में,

प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर/प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल,

मुख्य आयुक्त/निदेशक जनरल,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

सीबीईसी के तहत सभी

मैडम/सर

विषय: लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन हेतु लिए गये बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) पर जीएसटी के प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण-संबंधित

संक्षेप में कहा गया है, लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन हेतु लिए गये बेहतर केरोसिन तेल (एसकेओ) पर जीएसटी के प्रयोज्यता से संबंधित संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. इस संदर्भ में एलएबी निर्माताआों ने कहा कि वे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) एक रिफाइनरी, से बेहतर मिट्टी के तेल (एसकेओ) प्राप्त करते हैं । वे एसकेओ से एन-पैराफिन (C9 - C13 हाइड्रोकार्बन) निकालते हैं और शेष एसकेओ को रिफाइनरी को वापस लौटाते हैं । इस संदर्भ में, मुद्दा सामने आया है कि इस सौदे में जीएसटी एन-पैराफिन निकालने के लिए आईओसी द्वारा भेजे गए एसकेओ पर लगेगा या एलएबी निर्माताओं द्वारा निकाले गए एन-पैराफिन मात्र पर ही लगेगा । इसके अलावा, यह संदेह भी उठाया गया है कि क्या एलएबी निर्माताओं द्वारा जो शेष कैरासिन की वापसी की गई है ऐसा लेनदेन अलग से जीएसटी को आकर्षित करेगा ।

3. मामले की जांच की गई । एलएबी निर्माता आमतौर पर एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी से बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) प्राप्त करते हैं, रिफाइनरी से प्राप्त कुल एसोकेओ की औसत मात्रा का लगभग 15

से 17 प्रतिशत रखा जाता है और शेष राशि 83 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक रिफाइनरी में वापस लौटाई जाती है । एसकेओ सामान्य पैराफिन को निकालने में प्रयुक्त होता है, जो एलएबी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है । इस प्रक्रिया में, एलएबी निर्माताओं द्वारा भुगतान केवल बनाए गए एसकेओ (एन-पैराफिन) की मात्रा पर किया जाता है ।

4. इस संदर्भ में, जीएसटी परिषद ने 6.10.2017 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में व्याख्या की और स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की कि इस प्रक्रिया में जीएसटी रिफाइनरी द्वारा बेहतर कैरोसिन तेल(एसकेओ) की उस मात्रा के मूल्य पर देय होगा, जो कि लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के निर्माता एलएबी के उत्पादन के लिए रख लेते हैं।

5. तदनुसार, पूर्वोक्त् मामले में, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटी रिफाइनरी द्वारा केवल लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन के लिए रखे गए बेहतर केरोसिन तेल (एसकेओ) की मात्रा पर देय होगा। यद्यपि रिफाइनरी एसोकेओ की वापस की गई मात्रा पर किसी अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करते समय जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. यह स्पष्टीकरण गुडस एवं सर्विस टैक्स (जीसटी) कानून के संदर्भ में जारी किया गया है और पिछले मुद्दों पर, यदि कोई हो, तो उसे उस समय पर प्रचलित कानून के अनुसार निपटा जाएगा ।

आपका आभारी,

(अमित कुमार सिंह)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)
ईमेल: amitsingh.1289@gov.in

Circular No. 12/12/2017-GST

F.No.354/117/2017-TRU (Pt-III)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Tax Research Unit)
*****

North Block, New Delhi
Dated 26th October, 2017

To

Principal Chief Commissioners/Principal Directors General,
Chief Commissioners/Directors General,
Principal Commissioners/Commissioners,
All under CBEC.

Madam/Sir,

Subject: Clarification regarding applicability of GST on the superior kerosene oil [SKO] retained for the manufacture of Linear Alkyl Benzene [LAB]– Regarding.

Briefly stated, references have been received related to applicability of GST on the superior kerosene oil [SKO] retained for the manufacture of Linear Alkyl Benzene [LAB].

2. In this context, LAB manufacturers have stated that they receive superior Kerosene oil (SKO) from, a refinery, say, Indian Oil Corporation (IOC). They extract n-Paraffin (C9-C13 hydrocarbons) from SKO and return back the remaining of SKO to the refinery. In this context, the issue has arisen as to whether in this transaction GST would be levied on SKO sent by IOC for extracting n-paraffin or only on the n-paraffin quantity extracted by the LAB manufactures. Further, doubt have also been raised as to whether the return of remaining Kerosene by LAB manufactures would separately attract GST in such transaction.

3. The matter was examined. LAB manufacturers generally receive superior kerosene oil [SKO] from a refinery through a dedicated pipeline; on an average about 15 to 17% of the total quantity of SKO received from refinery is retained and balance quantity ranging from 83%-85% is returned back to refinery. The retained SKO is towards extraction of Normal Paraffin, which is used in the manufacturing of LAB. In this transaction consideration is paid by LAB manufactures only on the quantity of retained SKO (n-paraffin).

4. In this context, the GST Council in its 22nd meeting held on 06.10.2017 discussed the issue and recommended for issuance of a clarification that in this transaction GST will be payable by the refinery on the value of net quantity of superior kerosene oil (SKO) retained for the manufacture of Linear Alkyl Benzene (LAB).

5. Accordingly, it is here by clarified that, in aforesaid case, GST will be payable by the refinery only on the net quantity of superior kerosene oil (SKO) retained for the manufacture

of Linear Alkyl Benzene (LAB). Though, refinery would be liable to pay GST on such returned quantity of SKO, when the same is supplied by it to any other person.

6. This clarification is issued in the context of Goods & Service Tax (GST) law only and past issues, if any, will be dealt in accordance with the law prevailing at the material time.

Yours faithfully,

(Amit Kumar Singh)
Technical Officer (TRU)
Email: amitsingh.1289@gov.in